न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,घाटमपुर कानपुर देहात

फौजदारी वाद सं० 908/2024

UPRN180019692024

सरकार बनाम शिवम कुमार आदि

धारा 498 ए,323,504,506 भा०द०सं०
व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
मु०अ०सं० 129/2024
थाना घाटमपुर, कानपुर नगर

आरोप

मैं धर्मेन्द्र सिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात आप लोगों शिवम कुमार, राकेश कुमार व शशीप्रभा को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ।

प्रथम– यह कि वादिनी मुकदमा अंजली देवी की शादी दिनांक 02/12/2022 को शिवम कुमार के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर हुई थी, किन्तु आप लोग दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर वादिनी मुकदमा अंजली देवी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस प्रकार आप लोगो ने धारा **498 ए भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि दिनांक समय व स्थान भिन्न–भिन्न के अन्तर्गत आप लोगों ने वादिनी मुकदमा अंजली देवी व उसके माता–पिता को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **323 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान के अन्तर्गत आप लोगों ने वादिनी मुकदमा अंजली देवी व उसके माता–पिता को लोकशान्ति भंग कराने के प्रकोपित करने के आशय से गाली गलौज कर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगो ने धारा **504 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान के अन्तर्गत आप लोगों ने वादिनी मुकदमा अंजली देवी व उसके माता–पिता को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **506 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम्– यह कि वादिनी मुकदमा अंजली देवी की शादी दिनांक 02/12/2022 को शिवम कुमार के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर हुई थी, किन्तु आप लोग दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आप लोगों को निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

दिनांक –02/01/2026

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2026.01.02 16:44:26 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge J.D./J.M. Ghatampur Kanpur Dehat

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया जिसे स्वीकार न करते हुए अभियुक्तगण ने विचारण की मांग की।

दिनांक –02/01/2026

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562